न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/40/2020

कोमलसिंह उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 3,4 व 5 कस्बा कामां तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 28.10.2020 बावत मुकदमा नम्बर 173/2017 सरकार बनाम कोमलसिंह अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम।

निर्णय

दिनांक 12.10.2021

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 28.10.2020 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलव की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश कानून एवं रिकार्ड के विपरीत है। आरोप में वर्णित 708 किलो चीनी अपीलान्ट द्वारा क्रय–विक्रय केन्द्र से उठाई नही गयी है। चालान कटने के बाद चीनी का इन्द्राज पोश मशीन में तो आ गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा चीनी की गुणवत्ता खराब होने के कारण उठाव नही किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त चीनी को बदलने हेतु क्रय–विक्रय से

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

कहा किन्तु उन्होने मना कर दिया। इस कारण अपीलान्ट ने चीनी का उठाव नहीं किया। अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा शिकायत नही की गई है। तहत न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि काबिल निरस्तनीय है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में कथन किया है कि डीलर द्वारा राशन सामग्री के वितरण में अनियमिततायें किये जाने सम्बन्धी शिकायत पर मौके पर जाकर जांच की गई। वक्त जॉच पाया गया कि डीलर द्वारा उपभोक्ता नेमीचन्द को माह अक्टूबर व नवम्बर 2017 का गेहूँ नहीं दिया गया। इसके अलावा अपीलान्ट डीलर द्वारा वक्त जॉच आवश्यक बस्तुओं के जॉच रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराए गए। दुकान के भौतिक सत्यापन पर पोस मशीन के अनुसार 56.50 लीटर केरोसीन दर्ज था किन्तु मौके पर 38 लीटर ही पाया गया। इस प्रकार 18 लीटर केरोसीन कम मिला। पोस मशीन के अनुसार चीनी का स्टॉक 2.75 कि.ग्रा. था जबकि दुकान पर चीनी का स्टॉक निल पाया गया। खाद्य विभाग की वेवसाइट के मुताबिक FPS वाइज शुगर रिपोर्ट के अनुसार डीलर के पास चीनी का स्टॉक 708.100 कि.ग्रा. होना चाहिए था। किन्तु चीनी का स्टॉक वक्त जॉच 708.100 कि.ग्रा. कम पाया गया इस प्रकार डीलर द्वारा चीनी को खुर्द–बुर्द कर गबन किया गया है। जो दण्डनीय अपराध है। अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। प्रकरण में मुख्य बिन्दु डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितताऐं एवं 708.100 किग्रा चीनी से सबंधित है। अपीलान्ट को तहत न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया है। डीलर द्वारा प्रस्तुत जबाब में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा एक उपभोक्ता को माह अक्टूबर व नवम्बर 2017 में गेहू से वंचित रखा गया है तथा 18 लीटर कैरोसीन व 708.100 किग्रा चीनी जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राशन सामग्री से वंचित रखकर गबन किया है। डीलर द्वारा अपनी अपील में स्वीकार किया है कि चीनी दुकान में वक्त जांच रखी हुई थी। लेकिन मौके पर नही मिलने के कारण स्पष्ट हो जाता है कि डीलर द्वारा राशन सामग्री व चीनी का दुरूपयोग किया है। डीलर द्वारा राशन सामग्री वितरण में अनियमितता किया जाना पाया जाता है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2020 में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दि0 12.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर